डीजी-परिपत्र संख्या-23/2024

प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, टावर-2,
गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002
दिनांकः लखनऊः मई15,2024

विषयः क्रिमिनल अपील संख्याः-472/2012 रामनाथ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदया/महोदय,

कृपया आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एफएसडीए(मु0)/खाद्य/रिट/2024 दिनांक 01.05.2024 के साथ अनुलग्नकों सहित संलग्न क्रिमिनल अपील संख्याः-472/2012 रामनाथ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2024 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2. मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उपरोक्त न्यायिक निर्णय में यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि,खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 59 तथा भादवि की धारा 272/273 के आरोप में अभियोजन साथ-साथ नही चल सकता। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्राविधान भादवि के प्राविधानों को Override करेंगे। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 21.02.2024 का अनुपालनार्थ अंश निम्नवत् हैः-

" 21. The decision of this Court in the case of Swami Achyutanand Tirth[2] does not deal with this contingency at all. In the case of the State of Maharashtra[3], the question of the effect of Section 97 of the FSSA did not arise for consideration of this Court. The Court dealt with simultaneous prosecutions and concluded that there could be simultaneous prosecutions, but conviction and sentence can be only in one. This proposition is based on what is incorporated in section 26 of the GC Act. We have no manner of doubt that by virtue of Section 89 of the FSSA, Section 59 will override the provisions of Sections 272 and 273 of the IPC. Therefore, there will not be any question of simultaneous prosecution under both the statutes."

3. आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त विवेचनाधिकारियों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों को उपरोक्त निर्देशों को विस्तार से अवगत करा दें तथा इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय
15.5.24.
(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी/ईओडब्लू/यूपीपीसीएल/साइबर क्राइम, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था/अभियोजन/रेलवेज/एसीओ/एटीएस,उ0प्र0 लखनऊ।
3.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4.पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ।
5.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

प्रेषक,

आयुक्त,
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ.प्र.,
सेक्टर–सी, अलीगंज, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः एफएसडीए(मु.)/खाद्य/रिट/2024/ दिनांकः 01/8/ 2024

विषयः क्रिम.अपील सं. 472/2012, रामनाथ बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र सं. W-25/अद्ठासी–2–2024 दिनांक 28 मार्च 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें रजिस्ट्रार जनरल, मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र सं. 1797 SCS/LKO./2024 दिनांक 18.03.2024 व उसके साथ संलग्न असि.रजिस्ट्रार, मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 07.03.2024, जिसमें क्रिम.अपील सं. 472/2012, रामनाथ बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2024 की छायाप्रतियां संलग्न कर मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण में पेप्सिको इंडिया की याचिका में मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये निर्णय एवं मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा अच्युतानन्द तीर्थ बनाम भारत सरकार में दिए गए निर्णय का परिशीलन करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 89 के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकरण में उक्त अधिनियम की धारा 59 में कार्यवाही किए जाने अथवा आई.पी.सी. की धारा–272/273 में कार्यवाही किए जाने अथवा दोनो अधिनियमों के अधीन कार्यवाही किए जाने सम्बंधी विषय पर विस्तृत चर्चा की गयी है एवं तत्क्रम में दिनांक 21.02.2024 को निम्न निर्णय पारित किया गया है–

"..... **21.** The decision of this Court in the case of Swami Achyutanand Tirth2 does not deal with this contingency at all. In the case of the State of Maharashtra[3], the question of the effect of Section 97 of the FSSA did not arise for consideration of this Court. The Court dealt with simultaneous prosecutions and concluded that there could be simultaneous prosecutions, but conviction and sentence can be only in one. This proposition is based on what is incorporated in section 26 of the GC Act. We have no manner of doubt that by virtue of Section 89 of the FSSA, Section 59 will override the provisions of Sections 272 and 273 of the IPC. Therefore, there will not be any question of simultaneous prosecution under both the statutes.

22. Accordingly, Criminal Appeal No. 472 of 2012, Criminal Appeal No.479 of 2012 and Criminal Appeal arising out of SLP (Crl.) No. 1379 of 2011 succeed, and we set aside the impugned orders. The offences, subject matter of these appeals, are hereby quashed and set aside with liberty to the authorities to initiate appropriate proceedings in accordance with the law if not already initiated. Therefore, the concerned authorities are free to act in accordance with the FSSA for offences punishable under Section 59 of the FSSA. Criminal Appeal Nos. 476-478 of 2012 are dismissed. ....."

मा. उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय से स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–272/273 पर अधिमानी प्रभाव (Overriding Effect) दिया गया है।

उक्त के दृष्टिगत पत्र इस आशय से प्रेषित है कि कृपया मा. उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया,

(अनीता सिंह)
आयुक्त

पृ.सं.: एफएसडीए(मु.)/खाद्य/रिट/2024/2418(1-16) तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. उप रजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय अनुभाग, मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच।
02. अपर मुख्य सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ.प्र. शासन।
03. पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.।
04. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
05. अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग उ.प्र., जवाहर भवन, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 19.04.2024 के क्रम में प्रेषित।
06. उपायुक्त (खाद्य), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ.प्र.।
07. समस्त सहायक आयुक्त (खाद्य), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ.प्र.।
08. समस्त सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड–।।, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
09. समस्त मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ.प्र. को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
10. समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ.प्र. को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

(अनीता सिंह)
आयुक्त